भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1374**

दिनांक 30 जुलाई, 2024

**कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना**

**1374. डॉ. डी. रवि कुमार:**
**श्री नवसकनी के.:**
**डॉ. थोल तिरूमावलवन:**
**श्री सी. एन. अन्नादुरई:**
**श्री जी. सेल्वम:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं तथा वर्तमान में देश में तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितने कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) चल रहे हैं;
(ख) क्या सरकार का और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए चिह्नित स्थानों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने किसानों को बेहतर सेवाएं देने के लिए देश भर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और
(च) यदि हां, तो क्या कमियां पाई गई हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री**
**(श्री भागीरथ चौधरी)**

(क) कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के पास प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रदर्शन तथा उनके अनुप्रयोग व क्षमता निर्माण का दायित्व है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के क्रियाकलापों में विभिन्न कृषि प्रणालियों के अंतर्गत स्थान विशेष की प्रौद्योगिकी की पहचान के लिए खेत में (ऑन फार्म) परीक्षण; किसानों के खेतों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के उत्पादन की संभावना स्थापित करने के लिए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन; ज्ञान एवं कौशल विकास के लिए किसानों की क्षमता का विकास; और किसानों की उपलब्धता के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों, रोपण सामग्रियों और अन्य प्रौद्योगिकी साधनों का उत्पादन करना शामिल है। किसानों के बीच आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता लाने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र बड़ी संख्या में विस्तार गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

देशभर में कुल 731 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार सूची अनुबंध-I में दी गई है:

(ख) ''अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार'' पर अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की सिफारिश की थी। निर्धारित कार्यविधि एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार नवसृजित जिलों में नए कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलना एक सतत प्रक्रिया है।

**(ग) एवं (घ)**: किसानों को बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए सरकार, देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की अवसंरचना को उन्नत बनाने के लिए लगातार प्रयास करती है। पिछले वर्ष के दौरान सरकार ने अवसंरचना के उन्नयन के लिए रुपये 7730.76 लाख के बजट का प्रावधान किया था।

अवसंरचना में प्रशासनिक भवन, किसानों का छात्रावास, कर्मचारी आवास, प्रदर्शन इकाई, फार्म विकास कार्य शामिल हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों की अवसंरचना के उन्नयन का कार्य एक सतत प्रक्रिया है।

**(ड.) एवं (च):** कृषि विज्ञान केन्द्रों के निष्पादन और कार्य की समीक्षा सरकार समय-समय पर से करती है। सरकार आवधिक अंतराल पर कृषि विज्ञान केन्द्रों का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन भी कराती है। पिछली बार ऐसा मूल्यांकन वर्ष 2020 में इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स, नई दिल्ली के माध्यम से कराया गया था। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में पहुंच (आउटरीच) में वृद्धि, प्रशिक्षण में कृषिरत महिलाओं के अनुपात में वृद्धि और बीज उत्पादन व रोपण सामग्री में वृद्धि शामिल है।

**अनुबंध-I**

**[लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1374 दिनांक 30.07.2024 का भाग (क)]**

## कृषि विज्ञान केंद्रों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार सूची

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 3 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 24 |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 17 |
| 4. | असम | 26 |
| 5. | बिहार | 44 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 28 |
| 7. | दिल्ली | 1 |
| 8. | गोवा | 2 |
| 9. | गुजरात | 30 |
| 10. | हरियाणा | 18 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 13 |
| 12 | जम्मू एवं कश्मीर | 20 |
| 13. | झारखंड | 24 |
| 14. | कर्नाटक | 33 |
| 15. | केरल | 14 |
| 16. | लद्दाख | 4 |
| 17. | लक्षद्वीप | 1 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 54 |
| 19. | महाराष्ट्र | 50 |
| 20 | मणिपुर | 9 |
| 21. | मेघालय | 7 |
| 22. | मिजोरम | 8 |
| 23. | नागालैंड | 11 |
| 24. | ओडिशा | 33 |
| 25. | पुदुचेरी | 3 |
| 26. | पंजाब | 22 |
| 27. | राजस्थान | 47 |
| 28. | सिक्किम | 4 |
| 29. | तमिलनाडु | 32 |
| 30. | तेलंगाना | 16 |
| 31. | त्रिपुरा | 8 |
| 32. | उत्तराखंड | 13 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 89 |
| 34. | पश्चिम बंगाल | 23 |
| | **कुल** | **731** |

*******